दिनांक–08.09.17 को प्रधान सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार की अध्यक्षता में आहुत आवास योजना की पाक्षिक समीक्षात्मक बैठक की कार्यवाही :–

उपस्थिति:– यथा अभिलेख।

कार्यवाही –

IHSDP

1. IHSDP योजना दिनांक–31.03.2017 को आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा बंद कर दी गई है। इसका उपयोगिता प्रमाण पत्र विहित प्रपत्र GFR-19A में एवं पूर्णता प्रमाण पत्र भारत सरकार को भेजा जाना है। तदनुसार संबंधित क्रियान्वयन एजेंसी (संबंधित नगर निकाय/HPL) से उपयोगिता प्रमाण पत्र एवं पूर्णता प्रमाण पत्र प्राप्त कर आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय, भारत सरकार को भेजने का निदेश दिया गया।
2. योजना की प्रगति की समीक्षोपरान्त निर्माणाधीन सभी आवासीय इकाईयों को पूर्ण करने तथा वैसे आवसीय इकाई जिसमें निर्माण कार्य प्रारंभ नहीं हो सका उसका निर्माण कार्य प्रारंभ नहीं करने एवं उन्हें विभागीय पत्रांक–1358 दिनांक–12.06.17 के आलोक में प्रत्यर्पित करने की कार्रवाई शीघ्र करने का निदेश दिया गया। योजनान्तर्गत फारबिसगंज, गया, किशनगंज, मोकामा, नवीनगर, मुंगेर, ठाकुरगंज, अररिया, सहरसा, पूर्णिया, नौबतपुर एवं बाढ़ को निर्माणाधीन आवासीय इकाईयों में कार्य त्वरित गति से पूर्ण करने का निदेश दिया गया।
3. HPL द्वारा कार्यान्वित योजनाओं की समीक्षा की गई। प्रधान सचिव द्वारा योजना में निर्माणाधीन आवासीय इकाईयों की प्रगति असंतोषजनक पायी गयी। HPL द्वारा आरा नगर निगम में चल रहे परियोजना का कार्य मार्च 2018 तक पूर्ण होने एवं HPL द्वारा कार्यान्वित औरंगाबाद, बहादुरगंज, बेगूसराय, भागलपुर, बिहारशरीफ, जोगबनी, कॉंटी, किशनगंज फेज–I, मधेपुरा फेज–I, मोतीपुर, पूर्णिया फेज–I, शेखपुरा, सुपौल परियोजना का कार्य दिसम्बर 2017 तक पूर्ण होने की सूचना दी गई। प्रधान सचिव द्वारा इन्हें उक्त अवधि में पूर्ण करने का निदेश दिया गया।
4. प्रधान सचिव द्वारा जिला के नोडल पदाधिकारी को स्थल भ्रमण क्रम में योजना की समीक्षा करने एवं इसे पूर्ण करने हेतु सभी आवश्यक कार्रवाई करने का निदेश दिया गया।

RAY

1. आवास योजनान्तर्गत पटना फेज–I और फेज–II के लिए प्रधान सचिव द्वारा शेष सभी लाभुकों को भी प्रथम किस्त का भुगतान अतिशीघ्र करने का निदेश दिया गया।
2. पटना फेज–III के कार्यान्वयन एजेंसी बुडको द्वारा प्रथम ब्लॉक में प्लास्टर का कार्य समाप्त होने की सूचना दी गई। प्रधान सचिव द्वारा प्रथम ब्लॉक का उद्घाटन 02 अक्टूबर 2017 को करने का निदेश दिया गया। बुडको प्रतिनिधि द्वारा परियोजना अन्तर्गत चल रहे निर्माण कार्य स्वीकृत दर से अधिक दर पर कराये जाने की

सूचना दी गयी। अतः प्रधान सचिव द्वारा निर्माणाधीन आवासीय इकाईयों को पूर्ण करने एवं शेष इकाई को प्रत्यर्पित करने हेतु प्रस्ताव देने का निदेश दिया गया।

HFA

1. सबके लिए आवास (शहरी) योजना सभी नगर निकायों में लागू है। 140 नगर निकायों में 76,911 आवासीय इकाई की स्वीकृति भारत सरकार द्वारा दी गई है। इन 140 नगर निकायों में सभी आवासीय इकाई में कार्य प्रारंभ करने का निदेश कई बार दिया जा चुका है। बावजूद इसके अधिकतर नगर निकायों में कार्य प्रगति असंतोषजनक है। अतः सभी नगर निकायों को योजना की त्वरित गति से पूर्ण करने का निदेश दिया गया। साथ ही असंतोषजनक प्रगति वाले निकायों को फोन से प्रत्येक दिन अनुश्रवण करने का निदेश दिया गया।

   यदि किसी आवासीय ईकाई पर कार्य प्रारम्भ कर पाना संभव नहीं हो तो इसे प्रत्यर्पित करने का निदेश विभागीय पत्रांक– 955 दिनांक– 12.04.17 द्वारा दिया गया था। परन्तु अभी भी अधिकांश नगर निकायों से प्रस्ताव अप्राप्त है। अतः नगर निकायों को प्रत्यर्पण हेतु अविलंब प्रस्ताव उपलब्ध कराने का निदेश दिया गया।

2. योजनान्तर्गत लाभार्थी आधारित निर्माण घटक में नगर निकायों से प्राप्त नये प्रस्ताव को स्वीकृति हेतु भारत सरकार को भेजने का निदेश दिया गया।

धन्यवाद ज्ञापन के साथ बैठक समाप्त हुई।

20/9/2017

प्रधान सचिव,
नगर विकास एवं आवास विभाग।

ज्ञापांक–04/IHSDP-07-16/15 2189 पटना/दिनांक– 21/9/17

प्रतिलिपिः–नगर आयुक्त, सभी नगर निगम/नगर कार्यपालक पदाधिकारी, सभी नगर परिषद/नगर पंचायत/प्रबंध निदेशक, BUIDCo/उप निदेशक, बुडा/प्रधान सचिव, के प्रधान आप्त सचिव/अपर सचिव–सह–निदेशक के आप्त सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार/उप महाप्रबंधक, HPL, पटना, e-mail :- hindustanprefabpatna@gmail.com/ प्रभारी, MIS Cell, इंदिरा भवन, पटना/श्री मुकेश कुमार/SLTC/ परामर्शी REPL/STESALIT Systems को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

20/9/2017

प्रधान सचिव।